प्रारुप–35

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land to be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted steep hill slope as also to be avoided
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical Engineers and Geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground Engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads. Broadly the measures to be taken have been identified as:-

1. Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided. Box cutting is to be avoided to the extent possible.
2. Blasting by explosives is to be restricted to the minimum Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for aniline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process
3. All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
4. Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, and retaining walls are provided for purposes of establishing the slips. Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants

   In certain selected unstable areas terraced has also been plasticized as a stabilizing measure with god results

5. Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guide lines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टॉस्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रादेशिक रक्षक दल अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल

प्रारुप–36

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग का` किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।

7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस

हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लाठे नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लाठे नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लाठे नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों कापातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिकसंख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होताहै तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनोंपट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसीविशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय। प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रादेशिक रक्षक दल अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल

प्रारुप–37

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज
डांगचौरा,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

तहसीलदार
देवप्रयाग
टिहरी गढ़वाल

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

उपजिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टि0ग0।

प्रतिहस्ताक्षरित
जिलाधिकारी

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रारुप–38

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारुप–39

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को ईधन के प्रयोग के लिये प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कुकिंग गैस/कैरोसिन ऑयल उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आस–पास के वृक्षों, वनों एवं वन्य जीवों को किसी भी प्रकार की क्षति न हो।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारुप–40

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न ग्राम पंचायत/ग्रामों/परिवारों/जनसंख्याओं को लाभ प्राप्त होगा।

क्र0सं0	नगर पंचायत/ग्राम सभा का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या
1	झल्ड	120	400
2	कनियाड़ी	80	300
3	तोली चन्द्रबदनी	150	500
4	झनाउ	90	250
5	पबेला	180	500

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी,
टिहरी गढवाल

प्रारुप–41

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि का मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये ..... प्रति है0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु ..... है0 वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रूपये ..... होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेंट प्रीमियम (मूल्य) का ..... प्रतिशत की दर से रूपये ..... प्रतिवर्ष होता है।

लागू नहीं है।

उपजिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टि0ग0।

जिला सुरक्षा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी

ह0/–
जिलाधिकारी

प्रारुप–42

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन मय मानचित्र

लागू नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि हस्तान्तरित वन भूमि की मांग 1.00 है0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना लागू नहीं है।

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज
डांगचौरा

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(शिवपुरी)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रारुप–43

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

लागू नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि हस्तान्तरित वन भूमि की मांग 1.00 है0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना लागू नहीं है।

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज
डांगचौरा
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

प्रारुप–44

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की टोपोशीट

लागू नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि हस्तान्तरित वन भूमि की मांग 1.00 है0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना लागू नहीं है।

वन क्षेत्राधिकारी
गणिकनाथ रेंज
डांगचौरा
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रारुप–45

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का गूगल मानचित्र

लागू नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि हस्तान्तरित वन भूमि की मांग 1.00 है0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना लागू नहीं है।

जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी टिहरी गढ़वाल

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल

प्रारूपः–45

रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण योजना का प्राक्लन

परियोजना का नामः–

जनपद टि0ग0 के अन्तर्गत विकासखण्ड हिण्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण विषयक

पथ वृक्षारोपण हतु क्षेत्रफल **0.60** है0 **200** पौध प्रति है0

प्रथम चरण

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	प्रति	धनराशि
1	गडढा खुदान 0.60X0.60X0.60	सं0	120	17.8	सं0	2136.00
2	पौध की कीमत शोभाकार पौध बाजार भाव से 5' ऊँचाई	सं0	120	20.00	सं0	2400.00
3	लोहे के ट्री गार्ड	सं0	120	1600.00	सं0	192000.00
	योग प्रथम चरण					**196536.00**
	द्वितीय चरण					
1	गडढा भरान 0.60X0.60X0.60	सं0	120	2.82	सं0	338.4
2	गडढों मे जैविक खाद मिलाने हेतु खाद क्रय 100 ग्राम प्रति गड्डा	कि0ग्रा0	10.200	100.00 प्र0 10	सं0	1020.00
3	पौधशाला से सड़क तक पौध की ढुलाई एवं गाड़ी मे भरान करना 1 कि0मी0		120.000	214.00		2508.00
4	पौध ढुलान देहरादून से दूरी 190 कि0मी0 (9''X6'')	सं0	120	11.00	सं0	2244.00
5	ट्रक से पौध उतारना व कार्यस्थल तक ढुलान करना	ल0सं0				1000.00
6	पौध रोपण	सं0	120	2.85	सं0	342.00
7	निराई गुडाई प्रथम बार	सं0	120	2.53	सं0	303.60
8	द्वितीय बार	सं0	120	1.26	सं0	151.20
9	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार	माह	7	6870	सं0	48090.00
	योग					**55997.2**
	रोपण के बाद (तीसरे वर्ष से दसवें वर्ष तक) वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार					
1	तृतीय चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
2	चतुर्थ चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
3	पंचम चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
4	षष्ठ चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
5	सप्तम चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
6	अष्ठम चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
7	नवम चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
8	दसम चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
	योग					**659520.00**
	कुल योग					**912053.20**
	या (लाख रूपये में)					**9.12**

उप प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज
हांगचीरा

प्रारुप–46

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों/पथ वृक्षारोपण/100 वृक्षों/काटे जाने वाले वृक्षों की एवज में दस गुना वृक्षों/बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण का प्राक्कलन तथा प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण के उपरान्त प्रभावित होने वाली वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी। दस गुना वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है।

जिला युवा कल्याण एवं
क्षेत्रीय रक्षक दल अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल

प्रारुप–47

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता होने पर भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना से गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि प्रभावित नही हो रही है।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारुप–48

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता होने पर भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना से गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि प्रभावित नही हो रही है।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी,
टिहरी गढवाल

तहसीलदार
देवप्रयाग,टि0ग0

प्रारुप–49

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मलवा निस्तारण प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के दौरान उत्पादित मलवे को परियोजना में ही भरान/समतलीकरण के रूप में उपयोग किया जायेगा। जिससे वनस्पतियों/वन सम्पदा/वन्य जीव को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल